संख्या 2672/XVII-1/2012-01(54)/2012

प्रेषक,

एस. राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त
एवं विकास निगम लि0,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग–01 देहरादून दिनांक 09 सितम्बर, ~~अगस्त~~, 2013

विषय– नगरीय क्षेत्र में दुकान निर्माण योजना की निर्धारित लागत में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–875 दिनांक 25.10.2011 का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसके माध्यम से समाज कल्याण विभाग द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे निवास करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उनकी स्वयं की भूमि पर नगरीय क्षेत्र में दुकान निर्माण योजना के अन्तर्गत निर्धारित पूर्व दुकान निर्माण की लागत दरों में संशोधन करते हुए कॉलम संख्या–04 के अनुसार निम्नदरों पर दुकान निर्माण किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र.सं.	क्षेत्र	निर्धारित प्रति दुकान निर्माण लागत (₹में)	संशोधित प्रति दुकान निर्माण लागत (₹ में)
1	2	3	4
1.	समस्त पर्वतीय क्षेत्र	38,000/–	85,000/–
2.	ऊधम सिंह नगर,हरिद्वार,जनपद देहरादून का कालसी, चकराता एवं रायपुर विकासखण्डों के पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर शेष भाग, जनपद नैनीताल का हल्द्वानी एवं रामनगर, जनपद चम्पावत का टनकपुर क्षेत्र	38,000/–	78,000/–

2. दुकान का निर्माण व्यावसायिक दृष्टि से विकसित स्थलों पर कुर्सी क्षेत्रफल बारामदा सहित 13.32 वर्ग मीटर के आधार पर लाभार्थी की स्वयं की भूमि पर कराया जायेगा।

3. उपर्युक्त निर्माण लागत में ₹ 10,000/–अनुदान तथा शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी, जिसकी वसूली शासनादेश संख्या–2462/स्पे0कम्पो0/26–3–88–11(25)/85 दिनांक 21.10.1988 द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार 120 समान किश्तों में लाभार्थी से की जायेगी। वसूली के सम्बन्ध में एक पृथक रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें लाभार्थीवार वसूली की धनराशि इंगित की जायेगी। ऋण राशी की वसूली तथा अनुदान राशि के सदुपयोग की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

4. दुकान निर्माण की धनराशि लाभार्थी/सहायक विकास अधिकारी (स.क.) के संयुक्त खाते में रखी जायेगी, निर्माण कार्य पूर्ण होने की दशा में जिला समाज कल्याण अधिकारी/सहायक प्रबन्धक द्वारा लाभार्थी की पत्रावली पर एक टिप्पणी अंकित की जायेगी कि **"दुकान का मेरे द्वारा भली–भांति निरीक्षण किया गया है तथा दुकान निर्धारित मानकों के अनुसार बनी है, यदि भविष्य में कोई अनियमितता पायी जायेगी तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।"**

5. उक्त योजना में बिना ब्याज ऋण की वसूली सहायक समाज कल्याण अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण द्वारा लक्ष्यानुसार की जायेगी, तथा उसे अनुगम के जिला कार्यालय में जमा किया जायेगा। ब्याज मुक्त ऋण की वसूली के लिए इन अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित किये जायेगें जिसकी मासिक समीक्षा अनुगम मुख्यालय/जिला स्तर पर की जायेगी और उसकी सूचना निदेशक, समाज कल्याण एवं शासन को नियमित रूप से प्रेषित की जायेगी। जिन अधिकारियों द्वारा लक्ष्य की पूर्ति नही की जायेगी। उसके सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण विभाग को सूचित किया जायेगा तथा निदेशक, समाज कल्याण द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष वसूली न कर पाने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। वसूली के रूप में निगम को जो धनराशि प्राप्त होगी, उसे निगम द्वारा रिवालविंग फण्ड के रूप में प्रश्नगत योजनान्तर्गत व्यय किया जायेगा। उक्त दरें शासनादेश जारी होने की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

6. योजनान्तर्गत शेष शर्ते पूर्ववत रहेंगी तथा इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत दुकान निर्माण लागत सम्बन्धी शासनादेश संख्या–608/क.नि.प्र./26–3–98–11(25)/85 दिनांक 16.03.1998 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–589 (P)/XXVII-1/2013-14 दिनांक 22 अगस्त, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस. राजू)
प्रमुख सचिव।

संख्या 2672-(1)/XVII-1/2012–01(54)/2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि – निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, समाज कल्याण, हल्द्वानी–नैनीताल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त पदेन जिला प्रबन्धक,उत्तराखण्ड बहउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि0, उत्तराखण्ड।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
8. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस.एस. वल्दिया)
संयुक्त सचिव।